संख्या-62/2020/4938/सैंतीस-2-2020-30(4)/19

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक-12 सितम्बर, 2020

विषय- महिलाओं, बच्चों एवं अन्य आयु वर्ग में कुपोषण की दर को कम किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत हैं कि पोषण सतत विकास और आर्थिक समृद्धि की नींव है। स्वस्थ एवं अधिक सक्षम भारत की अवधारणा को साकार करने एवं महिलाओं और बच्चों का कुपोषण दूर करने हेतु पोषण अभियान माननीय प्रधान मंत्री जी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। "पोषण अभियान" का उद्देश्य विभिन्न आयु वर्ग में व्याप्त कुपोषण की दरों में कमी लाना है। पोषण अभियान को जन भागीदारी यानी जन आन्दोलन बनाने की कल्पना की गयी है। इस क्रम में पूरे देश में सितम्बर के महीने को "राष्ट्रीय पोषण माह" के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष के पोषण माह का टैग लाइन **"उत्तम पोषण, उत्तर प्रदेश रोशन"** है ।

2- उक्त अभियान के अंतर्गत प्रदेश में महिलाओं और बच्चों का कुपोषण दूर करने में गोवंश की अत्यन्त उपयोगिता है। प्रत्येक परिवार में गोवंश की उपलब्धता होने से दूध की उपलब्धता होगी, जो बच्चों एवं माताओं के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। महिलाओं और बच्चों के पोषण के स्तर को बेहतर करने के लिए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि कुपोषित बच्चों के परिवारों, जिनके पास गाय रखने का स्थान उपलब्ध हों तथा गोपालन के इच्छुक हों, उन्हें निराश्रित/बेसहारा गोवंश आश्रय स्थलों से गाय उपलब्ध कराई जाय।

3- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-3256/सैंतीस-2-2019-30(4)/2019, दिनांक-08.08.2019 द्वारा प्रदेश में निराश्रित/बेसहारा गोवंश को इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द किये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना का प्रख्यापन किया गया है। उक्त योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं:-

(1) शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/ 2018 दि0-02.01.2019 के प्रस्तर-7.8 के संलग्नक-1 एवं शासनादेश संख्या-261/ सैंतीस-2-2019-5(53)/2018 दिनांक-28.01.2019 निराश्रित/बेसहारा गोवंश आश्रय स्थल विषयक परामर्शी मार्गनिर्देशों के प्रस्तर-5 में गोवंश को किसानों/पशुपालकों को सुपुर्दगी किये जाने का उल्लेख है।

(2) जिलाधिकारी जनपद में ऐसे इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को चिन्हित करायेंगे, जो निराश्रित गोवंश को पालने हेतु तैयार है, उन्हें जिलाधिकारियों द्वारा रू0 30/- (रूपये तीस मात्र) प्रति गोवंश/ प्रतिदिन की दर से भरण-पोषण हेतु धनराशि सम्बन्धित कृषक/ पशुपालक/अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में प्रतिमाह डी0बी0टी0 प्रक्रिया द्वारा हस्तान्तरित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) निराश्रित/बेसहारा गोवंश (जिनमें ईयर टेग अनिवार्य होगा) को इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को सरकार/जिला प्रशासन द्वारा स्थापित एवं संचालित अस्थायी/स्थायी केन्द्रों के माध्यम से सुपुर्द किया जायेगा।

(4) चिन्हित कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति सुपुर्द किए गये गोवंश को किसी भी दशा में विक्रय नहीं करेगा न ही छुट्टा छोड़ेगा।

4- उपर्युक्त से स्पष्ट है कि कुपोषित बच्चों के परिवार, जिनके पास गाय रखने का स्थान उपलब्ध हो तथा गौ-पालन के इच्छुक हों, उक्त योजनान्तर्गत आच्छादित किए जा सकते हैं।

5- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत कुपोषित बच्चों के पात्र एवं इच्छुक परिवारों को जिले में स्थापित एवं संचालित विभिन्न प्रकार के गोवंश आश्रय स्थलों से गाय उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। यदि लाभार्थी चाहें तो गाय दिये जाने से पूर्व उसे गौ आश्रय स्थलों पर उपलब्ध गायों में से गाय चुनने का अवसर भी दिया जाय। गाय प्रदान किये जाने की कार्यवाही यथासम्भव जनप्रतिनिधिगण की उपस्थिति में सम्पन्न की जाये। पात्र एवं इच्छुक परिवारों की सूची उपलब्ध कराये जाने का दायित्व बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का होगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-62/2020/4938(1)/सैंतीस-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश।
4- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in